

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 29.05.18


संख्या-12/प0-मू0को0-4015/11-सा0प्र0-7036 / बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर एवं मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए/सेवा वापस लेते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है/पदस्थापित करने हेतु सेवा सौंपी जाती है: -

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, को० क० एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री अरुण कुमार, 1377/11, सहरसा	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सुपौल सदर	अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर
2	श्री लखीन्द्र पासवान, 1214/11, वैशाली	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारीशरीफ, पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई।
3	श्री कुमार पंकज, 1298/11, रोहतास	अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर	वरीय उप समाहर्ता, बेगूसराय
4	श्री सुरेश प्रसाद, 1369/11, नवादा	अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सुपौल सदर
5	श्री रमेन्द्र कुमार, 1144/11, झारखंड	वरीय उप समाहर्ता, बेगूसराय	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर
6	श्री विनोद आनन्द, 546/11, कटिहार	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना	वरीय उप समाहर्ता, कैमूर
7	श्री रामाशंकर, 944/11, सिवान	वरीय उप समाहर्ता, किशनगंज (उप सचिव स्तर में उत्कर्मित)	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा परिवहन विभाग, पटना में।

2. उपर्युक्त क्रमांक 1 एवं 2 पर अंकित पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

साथ ही उपर्युक्त क्रमांक 3 एवं 6 पर अंकित पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


29/5/18
(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-मू0को0-4015/11-सा0प्र0-7036 /पटना-15, दिनांक- 29.05.18

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/आप्त सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा 2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7036
29/5/18
सरकार के संयुक्त सचिव